



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)  
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर  
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033



क्रमांक 61(64) ग्रावि/सा.अंके/कलैण्डर/2019-20/ 9289-93

दिनांक- 09.09.22

जिला कलक्टर एवं  
जिला कार्यक्रम समन्वयक, (महात्मा गांधी नरेगा योजना)  
समस्त, राजस्थान

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रथम एवं द्वितीय छमाही में 704 ग्राम पंचायतों का माह अगस्त 2022 में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण को माह सितम्बर, अक्टूबर 2022 में करवाये जाने बाबत दिशा निर्देश।

प्रसंग :- सोसायटी के समसंख्यक आदेश क्रमांक 9239-56 दिनांक 06.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के बिन्दु संख्या 03 सामाजिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दलों का चयन व गठन को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दलों का चयन एवं गठन- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार एवं सोसायटी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण दल में एक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति तथा 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति होंगे। सोसायटी द्वारा माह जून 2022 एवं जुलाई 2022 में 1222 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 1222 प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संलग्न सूची में 23 पंचायत समितियों के प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित नहीं है, तथा जिन पंचायत समितियों में एक-एक व्यक्ति का नाम प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित है, अर्थात् जिस पंचायत समिति में पर्याप्त संसाधन व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नजदीक पंचायत समिति से संसाधन व्यक्ति लगाये जा सकते हैं।

भवदीय,

(संदीप चौहान)

निदेशक,

लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं  
पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक: एफ.61(64) ग्रावि. / म.न. / नि.सा.अ. / सा.अंके.कलै. / 19-20/१२१०-१३ जयपुर दिनांक: ०१/०१/२२  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् संबंधित को पालनार्थ।
3. डाक शाखा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र को डिस्पेच कर सम्बन्धित को डाक/ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।



(दुर्गा प्रसाद दायमा)

उपनिदेशक,

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं  
पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)